

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-34/2018/562 /चि0-3-18-टी-1(87)/2017,
लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

डा0 सिल्की जजौडिया, (ले0-1) स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच एवं डा0 नासिर कमाल (वरि0क्र0-11952क, ले0-2) स्त्री रोग विशेषज्ञ, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती का कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2017/2002/चि0-3-17-टी-1(87)/2017, दिनांक 27-10-2017 के द्वारा क्रमशः अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच में किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2- कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2017/2002/चि0-3-17-टी-1(87)/2017, दिनांक 27-10-2017 उक्त सीमा तक संशोधित पढा जाय। शेष यथावत बने रहेंगे।

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव

संख्या-34/2018/562 (1)/चि-3-18, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/शोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती/बहराइच।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच) ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।